न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 76/2018 दिनांक 13.12.2018

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. समयसिंह पुत्र भौरया जाति गूर्जर
2. राधा पत्नि अतरसिह गूर्जर
3. रूकमणी पत्नि समयसिंह गूर्जर
   निवासी कंजोली तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(सायलान)

बनाम

1. भौरया पुत्र हंसे
2. अमरसिंह पुत्र भौरया
3. महाराजी पत्नि अमरसिंह
   जाति गूर्जर निवासी कंजोली तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
5. नायब तहसीलदार बालघाट जिला करौली।
6. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम जिला करौली।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (सायलान)

श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट (गैरसायलान 1 ता 3)

निर्णय दिनांक 05.03.2020

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पेश किया है कि ग्राम कंजोली की आराजी ख0न0 641/0.66, 642/0.25, 666/0.44, 688/0.15, 1581/0.44, 1582/0.01, 1778/0.11, 1779/0.19, 1780/0.19, 1781/0.17, 2381/1.26, 2382/0.52, 2382/2759/0.64, 2383/0.17, 2384/0.74, 2384/2760/0.43 कुल किता 16 कुल रकवा 6.37 है0 मे गैरसायलान 1/5 का खातेदार काश्तकार है।

ग्राम कंजोली की आराजी ख0न0 486/0.14, 489/0.23 कुल किता 2 रकवा 0.37 है0 मे सायल न0 3 बहिस्सा 1/2, गैरसायल न0 3 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है।

ग्राम कंजोली की आराजी ख0न0 455/0.32, 472/0.23 कुल किता 2 कुल रकवा 0.55 है0 मे सायल न0 1 बहिस्सा 3/15, सायल न0 2 बहिस्सा 3/15 के खातेदार काश्तकार है।

ग्राम कंजोली की आराजी ख0न0 402/0.37, 456/0.39 कुल किता 2 कुल रकवा 0.76 है0 मे सायल न0 2 बहिस्सा 1/2, गैर सायल न0 2 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है।

ग्राम कंजोली की आराजी ख0न0 408/0.46 मे सायल न0 1 बहिस्सा 2/5, सायल न0 2 बहिस्सा 1/3 गैर सायल न0 2 बहिस्सा 2/15 के खातेदार काश्तकार है।

मद न0 2 की आराजीयात गैरसायलान न0 1 के नाम दर्ज है। जिसमे हम सायल न0 1 व 2 व गैरसायल न0 2 बहिस्सा 1/15 के खातेदार काश्तकार एवं मौके पर काबिज आराजी है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

ग्राम कंजोली की आराजी ख0न0 2584/0.10, 2585/0.17, 2586/0.19, 2595/0.21, 2596/0.08, 2597/0.06, 2614/0.11 कुल किता 7 कुल रकबा 1.01 है0 मे सायल न0 1 बहिस्सा 1/9, सायल न0 2 बहिस्सा 1/9 के खातेदार काश्तकार है।

सायल एवं गैरसायलान 1 ता 3 एक बुजुर्ग की संतान है।

हसे फौत
|
भौरया जीवित, बेवा जगनी फौत

अमरसिंह	रामपसिंह	अतरसिंह
महाराजीदेवी	रूकमणी देवी	राधादेवी

मद न0 2 की आराजीयात गैरसायल न0 1 द्वारा अपनी 1/5 हिस्से को सायल न0 1 व 2 व गैरसायल न0 2 प्रत्येक को 1/15–1/15 हिस्से मे बाटकर कब्जा करा दिया तभी से अपने हिस्से पर काबिज है। मद न0 5 मे वर्णित आराजी मे सायल न0 1 बहिस्सा 2/15, सायल न0 2 बहिस्सा 1/3 पर काबिज है। तथा मद न0 5 मे वर्णित आराजीयात मे सायल न0 1 बहिस्सा 2/15 सायल न0 2 बहिस्सा 1/3 पर काबिज है तथा मद न0 2 ,3 को अतरसिंह के शहीद होने पर मिली धनराशी से कय की थी। लेकिन आराजी को खरीद गैरसायलान न0 2,3,के नाम से करा दी, जबकि सम्पूर्ण आराजी पर सायलान काबिज एवं दखील है, तथा काश्त कर रहे है। तथा यह कम वर्षो से चला आ रहा है तथा आज भी बदस्तूर चालू है।

वॉका दिनांक 10.12.2018 का है कि सायलान अपनी आराजी की देखभाल कर रहे थे कि गैरसायलान न0 1 ता 3 एकराय होकर आये तथा करने लगे कि तुमने बहुत काश्त कर ली है अब हम काश्त करेगे, इस पर सायल द्वारा समझाया कि उक्त आराजी आपसी बटवारे मे 20 साल पूर्व से हमारे हिस्से मे आयी है तथा हम ही काबिज है। तथा काश्त कर रहे है। कुछ जमीन हमने हमारे पैसे से खरीदी है किन्तु भुलवश तुम्हारे नाम करा दी है। इसलिये तुम तहसील मे चलकर हमारे नाम करा दो, इतना सुनकर गैरसायलान नाराज हो गये और जमीन से बेदखल करने पर आमुदा है।

प्रथमदृष्टया केस सायलान के पक्ष मे है सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ता फैसला दावा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम कंजोली की आराजी ख0न0 641/0.66, 642/0.25, 666/0.44, 688/0.15, 1581/0.44, 1582/0.01, 1778/0.11, 1779/0.19, 1780/0.19, 1781/0.17, 2381/1.26, 2382/0.52, 2382/2759/0.64, 2383/0.17, 2384/0.74, 2384/2760/0.43, 486/0.14, 489/0.23, 455/0.32, 472/0.23, 402/0.37, 456/0.39, 408/0.46 मे सायलान के हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे एवं सायलान को बेदखल नही करे, आराजी को रहन व्यय नही करे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान न0 4 ता 6 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान न0 1 ता 3 की ओर जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया गया है अस्वीकार है। इस मद मे सायलान ने गैरसायल को 1/5 हिस्से का खातेदार दर्ज किया है लेकिन यह स्पष्ट नही किया है कि कौनसा गैरसायल 1/5 हिस्से का खातेदार है। मद न0 4 मे खातेदारी व हिस्सा कसी बिल्कुल गलत दर्ज की गई है। मद न0 5 स्वीकार है। मद न0 2 प्रार्थना पत्र मे तनहा गैरसायल न0 1 के हक मे दर्ज रिकार्ड नही है बल्कि दीगर खातेदारान के हक मे भी दर्ज रिकार्ड है। और नाही उक्त आराजी मे सायल न0 1 व 2 तथा गैरसायल न0 2 प्रत्येक बहिस्सा 1/15 हिस्से के खातेदार काश्तकार ही है, और नाही मौके पर उक्तानुसार काबिज दखील ही है। प्रार्थना पत्र मे जो सजरा पेश किया है। वह बिल्कुल गलत है। अपने पूर्वज हंसे का सम्पूर्ण सजरा पेश नही किया है इस सजरे मे माननीय न्यायालय को

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

मुगालता देने की गरज से जानबूझकर अतरसिंह को भौरया एवं उसकी पत्नि जगनी का पुत्र गलत दर्ज किया है जबकि वास्तव मे अतरसिंह, भौरया व जगनी का पुत्र नही है, रामप्रसाद उर्फ लाखन का पुत्र है। बाका दिनांक 10.12.18 को या अन्य किसी भी दिन, किसी भी समय, गैरसायलान की सायलान से कोई बात नही हुई, वास्तव मे जब वादग्रस्त आराजी मे से कुछ आराजी गैरसायल न0 2 व 3 की खरीद शुदा आराजी है जिस पर गैरसायलान मौके पर काबिज काश्त है तब सायलान का गैरसायलान न0 1 ता 3 के हिस्से की आराजी से कोई संबध किसी प्रकार का होने पर काबिज काश्त है। तब सायलान का गैरसायल न0 1 ता 3 के हिस्से की आराजी से कोई संबध किसी प्रकार को होने का कोई सवाल पेदा नही होता, सायलान को कोई किसी प्रकार की क्षति नही होगी, बल्कि सायलान का गलत तथ्यो पर आधारित दावा यदि डिकी कर दिया तो गैरसायलान न0 1 ता 3 को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्राईमाफेशी केस सायलान का साबित नही है नाही सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे साबित है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने से सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही होगी, और यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई तो गैरसायलान को भारी क्षति होगी। विशेष विवरण मे यह भी अंकित किया है कि सायल न0 2 राधादेवी के पति अतरसिंह, भौरया का पुत्र नही होकर रामप्रसाद उर्फ लाखन का पुत्र है। सरपंच व राजस्व कर्मचारियो से साज करके राधादेवी ने जगनी देवी जो फौत हो चुकी है उसकी आराजी मे विरासत का नामांतकरण दर्ज करवा लिया है जो गैरकानूनी व गलत है। जबकि जगनी देवी का विरासत का नामांतकरण मात्र सायल न0 1 व गैरसायल न0 1 व उसकी पुत्री सरुपी के हक मे तस्दीक होना चाहिये था। गैरकानूनी रूप से जमीन हडपने की वजह से यह दावा पेश किया है। जब दावा चलने योग्य नही है तो प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मेन्टेबिल नही है। काबिले खारिज है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। सायलान के वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि मद न0 2 मे वर्णित आराजीयात मे गैरसायल हिस्सा 1/5 के खातेदार है। जिसमे सायल न0 1 व 2 एवं गैरसायल न0 2 प्रत्येक हिस्सा 1/15–1/15 को बाट कर कब्जा काश्त कर रहे है। यह जमीन गैरसायल न0 1 ने बहामी बटवारा कर संभलादी, मद न0 5 की आराजी मे सायल न0 1 हिस्सा 2/15, सायल न0 2 हिस्सा 1/3 पर काबिज तथा मद न0 2 व 3 की सम्पूर्ण आराजीयात पर सायलान काबिज है। क्योकि मद न0 3 व 4 की आराजीयात सायला राधा देवी के पति अतरसिह के शहीद होने पर मिली धनराशी से खरीदी थी। किन्तु गलती से उक्त आराजी की खरीद गैरसायल न0 2 व 3 के नाम करा दी थी, जबकि सम्पूर्ण आराजी पर काबिज एवं दखील है। गैरसायलान सायलान को जबरदस्ती आराजीयात से बेदखल करना चाहते है इसलिये गैरसायलान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

गैरसायलान के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजीयात से सायलान को कोई संबध किसी प्रकार का नही है। गैरसायल न0 1 व 2 की खरीद शुदा आराजी है। जगनी के फौत होने पर खोले गये नामांतकरण मे अतरसिंह को जगनी का गलत रूप से वारिस बनाकर गैरसायल न0 2 व सायल न0 1 के साथ वारिस दिखाया गया है। जालसाजी करके नामांतकरण दर्ज करवाया है। क्योकि अतरसिह भौरया व जगनी का पुत्र ही नही है बल्कि रामप्रसाद उर्फ लाखन का पुत्र है। मद न0 2 की आराजीयात मे गैरसायल न0 1 के अलावा अन्य खातेदारान का भी हिस्सा है। जिन्हे पक्षकार ही नही बनाया है। इस प्रकार विवादित आराजीयात से सायला न0 2 का कोई संबध किसी प्रकार का नही है नाही सायलान का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति मे सायलान की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 270 मे वर्णित ग्राम कंजोली की आराजी ख0न0 641/0.66, 642/0.25, 666/0.44, 688/0.15, 1581/0.44, 1582/0.01, 1778/0.11, 1779/0.19, 1780/0.19, 1781/0.17, 2381/1.26, 2382/0.52, 2382/2759/0.64, 2383/0.17, 2384/0.74, 2384/2760/0.43 कुल किता 16 कुल रकवा 6.37 है0 मे गैरसायल न0 1, 1/5 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 486/0.14, 489/0.

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

14 मे सायल न0 3 व गैरसायल न0 3 हिस्सा 1/ 2-1/2 के खातेदार काश्तकार है। ख0न0 455/0.32, 472/0.23, सायल न0 1व 2 तथा गैरसायल न0 2, हिस्सा 3/15-3/15 के खातेदार काश्तकार है ख0न0 402/0.37, 456/0.39 गैरसायल न0 2, सायला न0 2 हिस्सा 1/2-1/2 के खातेदार काश्तकार है, ख0न0 408/0.46, सायल न0 1 का हिस्सा 2/15 सायल न0 2 का हिस्सा 1/3 , गैरसायल न0 2 का हिस्सा 2/15 दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 2584/0.19, 2585/0.17, 2586/0.19, 2595/0.21, 2596/0.08, 2597/0.06, 2614/0.11 मे सायल न0 1 व 2 व गैरसायल न0 2 हिस्सा 1/9-1/9 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। मद न0 2 मे वर्णित आराजीयात गैरसायल न0 1 पिता भौरया के नाम दर्ज है जमाबन्दी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 64, 98, 350, मे वर्णित आराजीयात मे विशेष कालम मे जगनी देवी पत्नि भौरया हिस्सा 1/3 की विरासत सायल न0 1 व 2 गैरसायल न0 2 के नाम खुली है। दौरान बहस सायल वकील ने मद न0 2 मे वर्णित आराजीयात पिता के नाम होना बताया है। इसके बाबत वकील गैरसायलान ने आराजीयात के स्व अर्जित होने के संबध मे कोई कथन नही किया है। जहाँ तक प्रश्न अतरसिंह के वास्तविक पिता कौन है इसका निर्णय मूल वाद मे साक्ष्य सबूत के आधार पर हो सकता है। मद न0 2 के अलावा आराजीयात ख0न0 486, 489, 455, 472, 402, 456, 2584, 2585, 2586, 2595, 2596, 2597, 2614 मे सायलान व गैरसायलान सहखातेदार है। जिन पर मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित प्रतीत होता है। तथा मद न0 2 की आराजीयात ख0न0 641, 642, 666, 688, 1581, 1582, 1778, 1779, 1780, 1781, 2381, 2382, 2382/2759, 2383, 2384, 2384/2760 कुल किता 16 कुल रकबा 6.37 है0 पिता भौरया के नाम दर्ज है। मूल वाद घोषणा खातेदारी से संबधित होने से वर्णित आराजीयात मे भौरया के हिस्से 1/5 के बेचान पर रोक लगाया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार मूल वाद के निर्णय तक गैरसायल न0 1 भौरया को ग्राम कंजोली के ख0न0 641/0.66, 642/0.25, 666/0.44, 688/0.15, 1581/0.44, 1582/0.01, 1778/0.11, 1779/0.19, 1780/0.19, 1781/0.17, 2381/1.26, 2382/0.52, 2382/2759/0.64, 2383/0.17, 2384/0.74, 2384/2760/0.43 कुल किता 16 कुल रकबा 6.37 है0 को रहन व्यय नही करने के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तथा अन्य आराजीयात मे उभयपक्ष सहखातेदार है जिन्हे आराजी ख0न0 486/0.14, 489/0.23, 455/0.32, 472/0.23, 402/0.37, 456/0.39 ,408/0.46, 2584/0.19, 2585/0.17, 2586/0.19, 2595/0.21, 2596/0.08, 2597/0.06, 2614/0.11 है0 मे मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

05/3/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
उपजिला कलेक्टर)
टोडाभीम जिला करौली

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.07.30 11:41:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: